



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215154
CG-DL-E-04012020-215154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941

No. 07]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 9(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) आरंभिक भाग में “2019” अंकों के स्थान पर, “2020” अंक रखे जाएंगे ;

(II) खंड (क) के परंतुक में,--

(i) मद (v) में, अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“(vii) दो या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व में किसी गृह संपत्ति का स्वामी है ; या

(viii) धारा 139 की उपधारा (1) के सातवें परंतुक के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा है।”;

(III) खंड (गक) के परंतुक में,--

(i) परंतुक में मद (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“(vi) दो या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व में किसी गृह संपत्ति का स्वामी है ;”;

(ख) उपनियम (5) में, “2018” अंकों के स्थान पर, “2019” अंक रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट (II) में, प्ररूप “सहज (आईटीआर-1)” और “सुगम (आईटीआर-4)” के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

[अधिसूचना सं. 01/2020/फा. सं. 370142/32/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2019, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 960(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा किया गया था ।

आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टिकों के लिए, जो (सामूली तौर पर निवासी से भिन्न) निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति (एकल स्वामित्व), व्याज से आय, कुटुंब पेंशन से आय आदि से पचास लाख रुपए तक आय है और कृषि से आय पांच हजार रुपए तक है] [किसी ऐसे व्यष्टिक के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक है या जिसने असूचीबद्ध साम्या शेयरों में विनिधान किया है और जिसकी 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि को आगे ले जाया गया है/पीछे से लाया गया है या जिसे आय-कर अधिनियम की धारा 139(1) के मातर्वे परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनी है] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	0	-	2

भाग क साधारण जानकारी												
स्थायी लेखा संख्या								नाम	जन्म की तारीख	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
									दि दि मा मा व व व			
मोबाइल नं.			ई-मेल पता				पता : फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. परिसर / भवन / ग्राम मार्ग / गली / डाकघर क्षेत्र / अवस्थान नगर / शहर / जिला राज्य देश पिनकोड					
क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है ?	हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)		यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें									
धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) / कृपया अनुदेश देखें/	□ 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, □ 139(4)- विलंबित, □ 139(5)- पुनरीक्षित, □ 119(2)(ब)- विलंब को माफ करने के पश्चात्											
या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	□ 139(9), □ 142(1), □ 148											
यदि पुनरीक्षित / त्रुटिग्रस्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)			/ /									
यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ब) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है -- ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें			/ /									

भाग ख - सकल कुल आय												केवल संपूर्ण रुपए (₹) में		
ख1	नियोजक के व्यौरें : नियोजक का टीएएन (यदि कर की कटौती हुई है, तो अनिवार्य), नियोजक का नाम, नियोजक की प्रकृति), नियोजक का पता, नगर/शहर, राज्य, पिन/जिप कोड (यदि टीएएन दिया गया है, तो पता का ब्यौरा पहले भरा जाए)										यहां नियोजक के ब्यौरे दें			
	I सकल वेतन (क + ख + ग)										i			
	विवरण	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	क										
		ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ख										
		ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	ग										
		(एक से अधिक नियोजक की दशा में, सकल वेतन के लिए बहु-पंक्तियां जोड़ें)												
	ii	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)										ii		
	iii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) (सुनिश्चित करें कि उपरोक्त (ii) में कुल सकल वेतन में इसे सम्मिलित किया गया है)										iii		
	iv	शुद्ध वेतन (ii - iii)										iv		
	v	धारा 16 के अधीन कटौतियां (वक + वख + वग)										v		
विवरण	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	वक											
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	वख											
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	वग											
	vi	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (v - v)										vi		
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं □ स्व:अधिभोग □ किराए पर □ किराए पर समझी गई, संपत्ति का पता : नगर/शहर; राज्य, पिन कोड/जिप कोड										यदि किराए पर दी गई है, तो किराएदार के ब्यौरे दें, किराएदार का नाम, स्थायी लेखा संख्या या आधार (यदि उपलब्ध है)			
	गृह संपत्ति	i	सकल प्राप्त/प्राप्य किराया /किराए योग्य मूल्य										i	
		ii	किराए की रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती है										ii	
		iii	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										iii	
		iv	कुल (ii + iii)										iv	
		v	वार्षिक मूल्य (i - iv) (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्व:अधिभोग में है)										v	
		vi	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत										vi	
		vii	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज										vii	
		viii	कुल (vi + vii)										viii	
	ix	वकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%										ix		
x	'गृह संपत्ति' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (v - viii) + ix										x2 ()			

ख3 अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
घटा : धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)		
कम करें : धारा 57(iv) के अधीन कटौती [धारा 56(2)(viii) के अधीन प्राप्त ब्याज की दशा में]	ख3	
ख4 सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें)	ख4 ()	

भाग ग – कटौतियां और कराघेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ (1ख)	80गगघ(2)	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80 घ घ ख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80 ड	80 ड ड
80ड-ड-क	80ड-ड-ख	80ख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80खख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80खखक (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	80खखग	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यरिं भरे जाएं)	
कुल कटौतियां				ग1	कुल आय (ख4 - ग1)			ग2	

रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/- रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है)	छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें
---	--

भाग घ – संदेय कर की संगणना

घ 1 कुल आय पर संदेय कर	घ 2 धारा 87क के अधीन छूट	घ 3 रिबेट के पश्चात् कर
घ 4 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर	घ 5 कुल कर और उपकर	घ 6 धारा 89 के अधीन राहत
घ 7 धारा 234क के अधीन ब्याज	घ 8 धारा 234ख के अधीन ब्याज	घ 9 धारा 234ग के अधीन
घ 10 धारा 234च के अधीन फीस	घ 11 कुल कर, फीस और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)	
घ 12 कुल संदेय कर	घ 13 कुल संदेय (घ11 - घ12) (यदि घ11 > घ12)	घ 14 प्रतिदाय (घ12 - घ11) (यदि घ12 > घ11)

भाग ड – अन्य जानकारी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रम सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	(प्रतिदाय के लिए खाते(तों) पर <input checked="" type="checkbox"/> चिह्नित करें)
I.				
II.				

अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	सीएसआर कोड (स्तंभ i)	निक्षेप की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) (स्तंभ ii)	चालान सं. (स्तंभ iii)	संदत कर (स्तंभ iv)
आर 1				
आर 2				

अनुसूची –स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/सदाता / संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]

	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी						
टी						

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर

मैं, पुत्र / पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।
तारीख: हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

<div>आ.क.वि.-4</div> <div>सुगम</div>		<div>भारतीय आयकर विवरणी</div> <div><div>[व्यष्टिकों, हि.अवि.कु. और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए, जो ऐसे निवासी हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है, एक गृह संपत्ति (एकल स्वामित्व) है, कारबार और वृत्ति से ऐसी आय है, जो धारा 44कघ, 44कघक या 44कड के अधीन संगणित है या व्याज आय, कुटुंब पेंशन आदि हैं और पांच हजार रुपए तक कृषि आय है।]</div><div>[किसी ऐसे व्यष्टिक के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक है या जिसने असूचीबद्ध साम्या शेयरों में विनिधान किया है या जिसकी 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि को आगे ले जाया गया है/पीछे से लाया गया है।]</div><div>(पात्रता के लिए अनुदेश)</div></div>												<div>निर्धारण वर्ष 2020-21</div>			
<div>भाग क साधारण जानकारी</div>																	
<div><div>(ए.1) प्रथम नाम</div><div>(ए.2) मध्य नाम</div></div>																	
<div><div>(ए.3) अंतिम नाम</div><div>(ए.4) स्थायी लेखा संख्या</div></div>																	
<div><div>(ए.5) जन्म की तारीख</div><div>(ए.6) फ्लैट /द्वार /भवन</div></div>																	
<div><div>(ए.7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम</div><div>(ए.8) मार्ग/गली /डाक-घर</div></div>																	
<div><div>(ए.9) क्षेत्र/अवरथान</div><div>(ए.10) नगर/ शहर/ जिला</div></div>																	
<div><div>(ए.11) राज्य</div><div>(ए.12) देश</div><div>(ए.13) पिन कोड/जिप कोड</div></div>																	
<div>(ए.14) आधार नम्बर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)</div>																	
<div><div>(ए.15) प्रास्थिति</div><div>(ए.16) मोबाईल नं० 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०</div></div> <div><div><div><input type="checkbox"/> व्यष्टि <input checked="" type="checkbox"/> हि.अवि.कु.</div><div><input checked="" type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी से भिन्न)</div></div></div>																	
<div><div>(ए.17) मोबाइल नं० 2</div><div>(ए.18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)</div><div>ई मेल पता - 2</div></div>																	
<div><div>(ए.19) क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है</div><div>हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)</div><div>यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें</div></div>																	
<div>(ए.20) धारा ... के अधीन फाइल की गई(सही का <input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) नियत तारीख के पश्चात् , <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात् निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]</div> <div>या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142 (1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153क <input type="checkbox"/> 153ग</div>																	
<div><div>(ए.21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं (फर्म की दशा में लागू नहीं) – यदि हां, निम्नलिखित सूचना दें</div><div>(सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</div></div>																	
<div><div>क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)</div><div>(यदि हां है तो) रकम (रु)</div></div>																	
<div><div>क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है</div><div>(यदि हां है तो) रकम (रु)</div></div>																	
<div><div>क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)</div><div>(यदि हां है तो) रकम (रु)</div></div>																	
<div><div>(ए.22) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)</div><div></div></div>																	
<div><div>(ए.23) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन सूचना या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है -- ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें</div><div></div></div>																	
<div>(ए.24) प्रतिनिधि निर्धारित की व्यौरें, यदि लागू हो</div>																	
<div><div><div>(1) प्रतिनिधि का नाम</div><div>(2) प्रतिनिधि की हैसियत</div><div>(3) प्रतिनिधि का पता</div><div>(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार</div></div></div>																	
<div><div>(ए.25) क्या आप किसी फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</div><div>यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें</div></div>																	
<div><div><div>क्र.सं.</div><div>फर्म का नाम</div><div>स्थायी लेखा संख्या</div></div></div>																	
<div><div>(i)</div></div>																	

(ए.26) व्यक्तियों के ब्यौरे, जो फर्म में भागीदार हैं (फर्म की दशा में लागू)							
क्र.सं.	नाम और पता	अंश का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्यांक / नामांकन आईडी (यदि आधार के लिए अर्हक हैं)	पूँजी पर ब्याज का प्रतिशत	संदत/संदेय पारिश्रमिक	
(i)							

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण (₹) में

ख 1	नियोजक के ब्यौरे : नियोजक का टीएएन (यदि कर की कटौती हुई है, तो अनिवार्य), नियोजक का नाम, नियोजक की प्रकृति, नियोजक का पता, नगर/शहर, राज्य, पिन/जिप कोड (यदि टीएएन दिया गया है, तो नाम और पता पहले से भरा होगा)					यहां नियोजक के ब्यौरे दें		
	I	सकल वेतन				i		
	वैतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik				
		ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ix				
		ग	धारा 17(3) के अनुसार	ig				
एक से अधिक नियोजक की दशा में सकल वेतन के लिए बहु-पंक्तियां जोड़ें)								
	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)							
	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) (सुनिश्चित करें कि उपरोक्त (ii) में कुल सकल वेतन में इसे सम्मिलित किया गया है)				ii		
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii)				iii		
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)				iv		
		क	धारा 16 के अधीन मानक कटौतियां	ivक				
		ख	धारा 16 के अधीन (ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख				
		ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग				
	v	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टीडीएसआई, यदि लागू हो)				ख 2		
	ख 2	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/> संपत्ति का पता : नगर/शहर, राज्य, पिन कोड /जिप कोड					यदि किराए पर दी गई है, तो किराएदार के ब्यौरे दें, किराएदार का नाम, स्थायी लेखा संख्या या आधार (यदि उपलब्ध है)	
	गृह संपत्ति	i	सकल प्राप्त/प्राप्त किराया/किराए योग्य मूल्य				i	
ii		किराए की रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती है			ii			
iii		स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर			iii			
iv		कुल (ii + iii)				iv		
v		वार्षिक मूल्य (i - iv) (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्व:अधिभोग में है)			v			
vi		वार्षिक मूल्य का 30%			vi			
vii		उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज			vii			
viii		कुल (vi + vii)				viii		
ix		वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया			ix			
x		'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (v- viii + ix) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं)				ख 2 ()		
ख 3	कारबार या वृत्ति से आय (अनुसूची बीपी के ड9 से मूल्य भरे)					ख 3		
ख 4	अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)-- टिप्पण- “अनुसूची टीडीएस 2” को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो							
	कम करें : धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)							
	कम करें : धारा 57(iv) के अधीन कटौती (धारा 56(2)(viii) के अधीन प्राप्त व्याज की दशा में)					ख 4		
ख 5	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3 + ख 4)					ख 5 ()		

भाग ग - कटौतियाँ और कराधेय कुल आय ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए) (ई-फाइलिंग द्वारा अनुसूची का उपबंध करना है)									
ग 1	80 ग		ग 2	80 गग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरा भरे जाएं)		
ग 7	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरा भरे जाएं)		ग 8	80 घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरा भरे जाएं)		ग 9	80ड		
ग 10	80डड		ग 11	80डडक		ग 12	80डडख		
ग 13	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरा भरे जाएं)		ग 14	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरा भरे जाएं)		ग 15	80छछग		
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		
ग 19	कुल कटौतियाँ (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)							ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)							ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति			
घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेष (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल व्याज	घ 8	
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल व्याज	घ 9	
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल व्याज	घ 10	
घ 11	धारा 234च के अधीन शुल्क	घ 11	
घ 12	कुल कर, शुल्क और व्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
घ 13	संदत कुल अग्रिम कर	घ 13	
घ 14	संदत कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	
घ 17	कुल पूर्व संदेय कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	

बैंक खाता	घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण			
		क्र०सं०	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या
		i			(प्रतिदाय के लिए सही का निशान लगाएं)
		ii			

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के व्यौर							
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन		
(i)							
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां						
	क	खाता देय बैंक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाधान पद्धति के माध्यम से या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त	ड 1क				
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख				
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय						
	क	ड 1क का 6% या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क				
	ख	ड 1ख का 8% या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख				
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग				
टिप्पण -- यदि आय, सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा अनिवार्य है और अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है							
धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन		
(i)							
ड 3	सकल प्राप्तियां		ड 3				
ड 4	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (ड 3 का 50%) या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय, सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा अनिवार्य है और अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है		ड 4				
धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन		
(i)							
ड 5	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय से संबंधित सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां		ड 5				
	निर्धारित के स्वामित्व वाले माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं.	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी.ट. में)	मासों की संख्या, जिनमें माल वाहन स्वामित्व में रहा है	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी0ट0 से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु. प्रति माह की दर से	माल वाहन की दशा में कुल उपधारणात्मक आय (3*4)	आय, जिसका माल वाहन की दशा में वास्तव में अर्जित करने का दावा किया गया है	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय, (5) या (6) में से उच्चतर
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)							
(ख)							
आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
ड 6	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (7) का योग] टिप्पण- यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विनिर्दिष्ट से कम है या स्वामित्व में वाहनों की संख्या किसी भी समय 10 वाहनों से अधिक है, तो अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है			ड 6			
ड 7	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज, यदि कोई है, टिप्पण- यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा			ड 7			
ड 8	धारा 44 कड (ड 7 - ड 8) के उपधारणात्मक आय			ड 8			
ड 9	व्यवसाय या वृत्ति के अधीन प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)			ड 9			
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना							
टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-							
च 1	जीएसटीआइएन सं. (संख्याएं)			च 1			
च 2	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य			च 2			

उपधरणात्मक आय से संबद्ध नकद और बैंक संव्यवहारों का विवरण			
	वर्णन	नकद	बैंक (सभी बैंक खातों की सकल रकम)
छ1	आरंभिक अतिशेष		
छ2	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्तियां (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
छ3	पूर्व वर्ष के दौरान संदाय/ निकासी (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
छ4	अंतिम अतिशेष		
टिप्पण	उन सभी दशाओं में, जहां 44कघ, 44कघक और 44कड लागू है या लेखा पुस्तकें रखे जाना अपेक्षित नहीं है, भरा जाना आज्ञापक है।		

अनुसूची-आयकर		आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे															
		बीएसआर कोड (स्तंभ 1)				निकषे की तारीख (स्तंभ 2)				चालान सं. (स्तंभ 3)				संदत्त कर (स्तंभ 4)			
	आर 1																
	आर 2																
	आर 3																
टिप्पण	घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।																

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण	कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण--	कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें।			

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग के अनुसार]

क्र. सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन	अशेषित अदायाकृत स्रोत पर कर कटौती	चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष दावा किया जा रहा स्रोत पर कटौती किया गया कर (केवल तभी जब सुसंगत प्राप्ति का इस वर्ष कर के लिए प्रस्तावित है)	प्रस्तावित सुसंगत प्राप्ति	अशेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अशेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम आय का सीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8) (9)
i						
ii						
टिप्पण	कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें।					

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें

केवल शासकीय कार्य के लिए

यहाँ प्राप्ति नं. की स्टंप

प्राप्तिकर्ता पदचारी की मोहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्योरा दें:			
कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 3rd January, 2020
INCOME-TAX

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (1st Amendment) Rules, 2020.
 (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.
2. In the Income-tax rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—
 - (a) in sub-rule (1),—
 - (I) in the opening portion, for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted;
 - (II) in clause (a), in the proviso,—
 - (i) in item (V), the word “or” occurring at the end shall be omitted;
 - (ii) after item (VI), the following items shall be inserted, namely:—
 “(VII) owns a house property in joint-ownership with two or more persons; or
 (VIII) is required to furnish a return of income under seventh proviso to sub-section (1) of section 139.”;
 - (III) in clause (ca), —
 - (ii) in the proviso, after item (V), the following item shall be inserted, namely:—
 “(VI) owns a house property in joint-ownership with two or more persons.”;
 - (b) in sub-rule (5), for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted.
3. In the principal rules, in Appendix II, for Form “Sahaj (ITR-1)” and “Sugam (ITR-4)”, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

[Notification No. 01/2020/F. No. 370142/32/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (16th Amendment) Rules, 2019, *vide* notification number GSR. 960(E), dated 30th December, 2019.

FORM	ITR-1 SAHAJ	INDIAN INCOME TAX RETURN [For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh, having Income from Salaries, one house property (single ownership), interest income, Family pension income etc. and agricultural income upto Rs.5 thousand] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or has any brought forward / carry forward loss under the head 'Income from House Property' or has to furnish return under seventh proviso to section 139(1) of the Income Tax Act] <i>(Refer instructions for eligibility)</i>		Assessment Year					
		2 0 2 0 - 2 1							

[illegible]

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)									
80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80E	80EE
80EEA	80EEB	80G (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGC	80TTA	80TTB	80U (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
Total deductions					C1			Total Income (B4-C1)	C2
Exempt Income: For reporting purpose (NOTE – If agricultural income exceeds Rs.5000/-, other ITR, as applicable, has to be filed)						Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section			

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE										
D1	Tax payable on total income			D2	Rebate u/s 87A			D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3			D5	Total Tax and Cess			D6	Relief u/s 89	
D7	Interest u/s 234A			D8	Interest u/s 234B			D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F			D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)					
D12	Total Taxes Paid			D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)			D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant)				
Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	(tick account(s) <input checked="" type="checkbox"/> for refund)
I				
II				

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments										
	BSR Code			Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			Serial Number of Challan			Tax paid
	Col (1)			Col (2)			Col (3)			Col (4)
R1										
R2										

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]						
	TAN of deductor/Collector or	Name of the Deductor/Collector/Tenant	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction/collection	Year of tax deduction/collection	Tax Deducted/collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
T1						
T2						

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign of Receiving Official	I, _____ son/ daughter of _____	solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (Please see instruction).
	Date:	Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:		
Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		

FORM

ITR-4
SUGAM

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh, one house property (single ownership), having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE or Interest Income, Family pension etc. and agricultural income upto Rs.5 thousand]
[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or has any brought forward / carry forward loss under the head 'Income from House Property']
(Please refer instructions for eligibility)

Assessment Year

2020 - 21

PART A GENERAL INFORMATION															
(A1) First Name				(A2) Middle Name				(A3) Last Name				(A4) Permanent Account Number			
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)												(A6) Flat/Door/Block No.			
(A7) Name of Premises/ Building/ Village				(A8) Road/Street/Post Office				(A9) Area/locality							
(A10) Town/City/District				(A11) State				(A12) Country				(A13) Pin code/Zip code			
(A14) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)												(A15) Status Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>			
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1								(A17) Mobile No. 2				(A18) Email Address-1 (self)			
												Email Address -2			
(A19) Do you have a valid Indian Passport				Yes/ No (dropdown to be provided)				If Yes, provide the passport Number							
(A20) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-				<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C											
Or Filed in response to notice u/s															
(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) (Not applicable in case of Firm) – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information															
Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)					
Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person										Amount (Rs) (If Yes)					
Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)					
(A22) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)															
(A23) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number & Date of such Notice or Order															
(A24) Details of a representative assessee, if applicable															
(1)		Name of the representative													
(2)		Capacity of the representative													
(3)		Address of the representative													
(4)		Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar of the representative													
(A25) Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information															
S. No.		Name of Firm				PAN									
(i)															
(A26) Particulars of persons who were partners in the firm (Applicable in case of Firm)															
S. No.		Name and Address		Percentage of share		PAN		Aadhaar Number / Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)		Rate of Interest on Capital		Remuneration paid/ payable			
(i)															
PART B GROSS TOTAL INCOME												Whole- Rupee(₹) only			
B1 Details of Employer: TAN of Employer (mandatory if tax is deducted), Name of employer, Nature of Employer, Address of Employer, Town/City, State, PIN/ ZIP Code (If TAN is provided name and address will be pre-filed)										Enter Employer details here					
i Gross Salary										i					

SALARY / PENSION	a	Salary as per section 17(1)	ia		
	b	Value of perquisites as per section 17(2)	ib		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
	Total Gross Salary (from all employers)				
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in Total Gross Salary in (ii) above)		ii	
	iii	Net Salary (i – ii)		iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)		iv	
	a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva		
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb		
c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc			
v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Fill "Sch TDS1" if applicable)		B1		
B2	Tick applicable option Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out <input type="checkbox"/> Address of property; Town/City; State; PIN Code/ ZIP Code			Enter Tenant details here If Let out, Name and PAN or Aadhaar of Tenant, if available	
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ letable value		i	
	ii	The amount of rent which cannot be realized	ii		
	iii	Tax paid to local authorities	iii		
	iv	Total (ii+iii)		iv	
	v	Annual Value (i – iv) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)		v	
	vi	30% of Annual Value	vi		
	vii	Interest payable on borrowed capital	vii		
	viii	Total (vi + vii)		viii	
	ix	Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%		ix	
	x	Income chargeable under the head 'House Property' (v- viii + ix) (If loss, put the figure in negative)		B2 ()	
B3	Income from business or profession (enter value from E9 of schedule BP)			B3	
B4	Income from Other Sources (drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income) NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.				
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)				
	Less: Deduction u/s. 57(iv) [in case of interest received u/s. 56(2)(viii)]			B4	
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4)			B5 ()	

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for limits on Amount of Deductions as per Income-tax Act) (schedules to be provided by e-filing)

C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)	
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80D (Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)	
C7	80DD (Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)		C8	80DDDB (Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)		C9	80E	
C10	80EE		C11	80EEA		C12	80EEB	
C13	80G (Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)		C14	80GG (Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)		C15	80GGC	
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	
C19	Total deductions (Add items C1 to C18)							C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)							C20

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	

D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	
D11	Fee u/s 234F	D11	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7 + D8 + D9 + D10 + D11)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column 5 of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13 + D14 + D15 + D16)	D17	
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income: For reporting purpose (NOTE – If Agricultural income exceeds Rs.5,000/-, other ITR, as applicable, has to be filed) (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20	
BANK ACCOUNT	D21 Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)		
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank
	i		
	ii		
		Account Number	[tick account(s) <input checked="" type="checkbox"/> for refund]

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION**COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD**

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts		
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or prescribed electronic modes received before specified date	E1a
	b	Any other mode	E1b
E2	Presumptive Income under section 44AD		
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2a
	b	8% of E1b or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2b
	c	Total (a + b)	E2c
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under section 44AB & other ITR, as applicable, has to be filed		

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E3	Gross Receipts		E3
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR, as applicable, has to be filed		E4

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E5	Gross Turnover or Gross Receipts relatable to presumptive income u/s. 44AE		E5
	<u>Registration No. of goods carriage owned by the assessee</u>	<u>Gross Vehicle Weight of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned</u>
	<u>Presumptive Income per month for the good carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case Gross Vehicle Weight of goods carriage exceeds 12MT, or else @</u>	<u>Total Presumptive Income in respect of the Good Carriage (3*4)</u>	<u>Income claimed to have been actually earned in respect of goods carriage</u>
	<u>Presumptive income u/s 44AE Higher of (5) or (6)</u>		

				Rs.7500 per month)			
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(a)							
(b)							
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
E6	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (7)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed					E6	
E7	Salary and interest paid to the partners, if any NOTE – This is to be filled up only by firms					E7	
E8	Presumptive Income u/s 44AE (E6-E7)					E8	
E9	Income chargeable under Business or Profession (E2c+E4+E8)					E9	
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST							
Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately							
F1	GSTIN No(s).					F1	
F2	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed					F2	
PARTICULARS OF CASH AND BANK TRANSACTIONS RELATING TO PRESUMPTIVE BUSINESS							
	Description				Cash	Bank (aggregate amount of all the bank accounts)	
G1	Opening Balance						
G2	Receipts during the previous year (drop down to be provided in e-filing utility)						
G3	Payments / Withdrawals during the previous year (drop down to be provided in e-filing utility)						
G4	Closing Balance						
NOTE ► Mandatory to fill for all cases where 44AD, 44ADA and 44AE is applicable or books of account not required to be maintained							

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Challan No.				Tax paid			
	Col (1)				Col (2)				Col (3)				Col (4)			
R1																
R2																
R3																
NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14																

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

SI No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
i					
ii					
NOTE ► Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16					

SCHEDULE TDS1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY [As per Form 16 issued by Employer(s)]

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				
NOTE ► Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule TDS2 in D15				

SCHEDULE TDS2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY [As per Form 16 A issued or Form 16C furnished by Deductor(s)]

Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year)	Corresponding receipt offered		TDS credit being carried forward
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f			Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

NOTE ► Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15**VERIFICATION**

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place:

Date :

Signature here ➔

FOR OFFICE USE ONLYSTAMP RECEIPT NO.
HERE

SEAL, DATE AND SIGNATURE OF RECEIVING OFFICIAL

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amount to be paid to TRP		<input type="text"/>